प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.10.2021	पत्रावली आज शिविर कैम्प गोरई पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली मे निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार करौली को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०) कारण आज दिनांक .... को विचाराधीन राजस्व मुकदमा ... सुनवाई दिनांक .... को की जावेगी।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2021.10.10 15:30:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली

कैम्प प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021
पीठासीन अधिकारी धीरेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

मुकदमा नं0– 05 / 2021

तारीख रजू– 19.02.2021

उनवान

1. मोती बाई बेवा बाबू आयु 51 साल
2. जीतराम पुत्र बाबू उम्र 24 साल
3. रामदयाल पुत्र बाबू उम्र 20 साल
4. रामनरी पुत्री बाबू उम्र 26 साल
5. लखनवाई पुत्री बाबू उम्र 18 साल जातियान मालीयान निवासी गैरई तहसील करौली जिला करौली राज.

——— अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुनीता पुत्री बाबू उम्र 32 साल
2. शिमला पुत्री बाबू उम्र 30 साल
3. विमला पुत्री बाबू उम्र 28 साल

} जाति माली निवासी गैरई तहसील व जिला करौली राज0

4. लाली पुत्री बाबू उम्र 16 साल जाति माली निवासी गैरई नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता मोती वाई बेवा बाबू जाति माली निवासी गैरई तहसील व जिला करौली
5. ग्राम पंचायत गैरई पंचायत समिति करौली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गैरई तहसील व जिला करौली राज.

—— रेस्पोडेन्ट्स

<u>अपील नामान्तकरण संख्या 894 दिनांक 05.06.2013 ग्राम गैरई</u>
<u>न्यायालय ग्राम पंचायत गैरई के निर्णय के विरूद्व</u>

निर्णय दिनांकः– 04.10.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि निर्णय दिनांक 05.06.2013 नामान्तकरण संख्या 894 ग्राम गैरई तहसील करौली अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट नं. 5 खिलाफे कानून रूऐदाद मिसल है पूर्णतया आर्वीट्रेटरी है परवरिश रेस्पोडेन्टस है निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्टस नं. 5 द्वारा अपीलान्टास को कोई सुनवाई का नोटिस व अवसर नहीं दिया गया है। निर्णय एकपक्षीय है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करकर पारित किया गया है। पटवारी हल्का ने विरासत नामान्तकरण अपीलान्टास के पति व पिता बाबू का दर्ज करते समय अपीलान्टास मोतीबाई का नाम मोती वाई एवं अपीलान्टास जीतराम का नाम दीतराम व रामदयाल का नाम दयाल व रामनरी का नाम नरो एवं लखनवाई का नाम लाखन्ती बिना किसी आधार के अनाधिकार तौर पर बिना जांच किये बिना अपीलान्टास व रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 4 से जांच किये गलत रूप से अपीलान्टास का नाम दर्ज किये है। गिरदावर हल्का द्वारा भी अपीलान्टास व रे[illegible] 1 ता 4 से कोई जांच नहीं की है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपील[illegible] बिना [illegible] गलत तौर पर उक्त निर्णय पारित किया है जो विधि[illegible] वास्तविक नाम मोतीबाई,जीतराम,रामदयाल, रामनरी, लखनवाई है [illegible] के सभी कागजात राशन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, [illegible] अपीलान्टास का नाम मोतीबाई,जीतराम,रामदयाल, रामनरी, लखनवाई ही दर्ज है। ऐसी स्थिति में जैर अपील निर्णय नामान्तकरण संख्या 894 ग्राम गैरई तहसील करौली निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्टास को उक्त नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 03.02.2021 को नकल नामान्तकरण लेने पर हुई है। इससे पूर्व अपीलान्टास को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं रही है। दिनांक 05.06.2013 से दिनांक 03.02.2021 तक का समय जानकारी अपीलान्टास के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2021.10.10 15:30:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

अभाव में कण्डोन किये जाने योग्य है। जानकारी दिवस दिनांक 03.02.2021 से अपील अपीलान्टास अन्दर मियाद पेश है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना अपील के साथ मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। न्यायालय हाजा को अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। अन्त में अपील अपीलान्टास स्वीकार की जाकर अपीलान्टास का नाम नामान्तकरण संख्या 894 दिनांक 05.06.2013 ग्राम गैरई तहसील करौली में अपीलान्टास का नाम दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्टास दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ता 4 की ओर से रामजीत कुसवाह एडवोकेन्ट ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्ट 5 बाबजूद तामील उपस्थित नही है।

उभयपक्षकारान को कैम्प गैरई पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उभयपक्षकारान का कथन है कि पटवारी हल्का ने विरासत नामान्तकरण अपीलान्टास के पति व पिता बाबू का दर्ज करते समय अपीलान्टास का नाम अनाधिकार तौर पर बिना जांच किये बिना अपीलान्टास व रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 4 को सुने गलत रूप से अपीलान्टास के नाम गलत दर्ज किये है। गिरदावर हल्का द्वारा भी अपीलान्टास व रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 4 से कोई जांच नहीं की है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलान्टास को बिना सुने गलत तौर पर उक्त निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। अपीलान्टास का वास्तविक नाम मोतीबाई,जीतराम,रामदयाल, रामनरी, लखनवाई है। अपीलान्टास के सभी कागजात राशन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, में अपीलान्ट का नाम भी मोतीबाई,जीतराम,रामदयाल, रामनरी, लखनवाई दर्ज है। ऐसी स्थिति में जैर अपील निर्णय नामान्तकरण संख्या 894 ग्राम गैरई तहसील करौली निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिविरूद्ध है एकपक्षीय है। अपीलान्टास का नाम नामान्तकरण नं0 894 दिनांक 05.06.2013 ग्राम गैरई में अपीलान्टास का नाम संशोधित किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्टास स्वीकार की जावे।

उभयपक्षकारान के तर्को का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज व नामान्तकरण का अवलोकन किया गया। अपीलान्टास का नाम कागजात जैसे राशनकार्ड, परिचय पत्र, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड में अपीलान्ट का नाम मोतीबाई,जीतराम,रामदयाल, रामनरी, लखनवाई ही दर्ज है। इस प्रकार समस्त साक्ष्य दस्तावेज से अपीलान्टास का नाम मोतीबाई,जीतराम,रामदयाल, रामनरी, लखनवाई होना ही प्रकट होता है। मोतीबाई,जीतराम,रामदयाल, रामनरी, लखनवाई नाम नामान्तकरण में संशोधित किये जाने योग्य एवं अपील अपीलान्टास स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्टास स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत गैरई रेस्पोडेन्ट नं0 5 का निर्णय बावत् नामान्तकरण संख्या 894 दिनांक 05.06.2013 ग्राम गैरई तहसील करौली अपीलान्टास के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है। तहसीलदार करौली को नामान्तकरण संख्या 894 [illegible] गैरई तहसील करौली में अपीलान्टास का नाम भौतीवाई के स्थान पर लखनव[illegible] के स्थान पर जीतराम,दयाल के स्थान रामदयाल, नरो के स्थान प[illegible] लखनवाई दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रति[illegible]नार्थ तहसीलदार करौली को भिजवायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2021.10.10 15:30:09 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को कैम्प गैरई में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करौली
करौली (राज0)

Scanned with CamScanner